



Group of Institutions







Congratulations. For Being Selected In

Internship Programme at ISSA, (DRDO)

	सरकार, रक्षा संजानय अध्ययन एवं विशेषण सरका
	अनुमधान क्या विकास सराहर
मेटका	र भवन, दिल्ही 110054
शंत :	+91-11-23882440
tran :	+91-11-23819033
	director issa@goc in



hovt of india, Min of Defence institute for Systems Studies & Analyses Defence R & D Organization Methalfe House, Delhi-110054 Phone + 91-11-23882440 Fax No + 91-11-238829033 E. mail: director issa@gov.in ferry Date 28 April 2025 Ser ISSA, HRD/Student Training/2025

समस्त पत्र व्यवहार निदेशक के नाम से किए जाये All correspondence to be addressed to the Director

सेवा में 🗆

Kushna Knowa Anonachaya Grandel

Institutions or

Mentor

विषय: छात्र प्रशिक्षण (हाईब्रिट मोर्ड) Sub: Student Training (Hybrid mode)

 यह संस्थान आपको रिपोर्टिंग से कौतंल द्वारा जारी पत्र के अनुरूप परिवाल को अवधि प्रदान करती है। आपको निर्दाल जाता है कि इस पत्र के जारी होने के उपरांत 15 दिनों के मीतर पुष्टि करें। पुष्टि नहीं करने की स्थिति में आपके प्रविक्ता निरस्त करते हुए आपकी जगह प्रतिक्ता सची के छात्र/छाताओं को दी आएगी।

The Institute provides you duration of training as per the letter issued by the college. You are direct provide your confirmation through mail within 15 Working days after the issue of this letter along the supporting documents mentioned in the Sr. No.5. In case of unable to report, your training will be tre as canceled and opportunity will be given to waiting list candidates.

- यह सङ्गान में लाया जाता है कि आपको कोई वजीका नहीं दिया जायेगा तथा ना ही आवास की लुकिया उपानक कराई का It may be noted that no stipend/employment will be granted to you and he/she will not be provided with accommodation.
- क्रीआरडीओ प्रयोगशालाओं /स्थापनाओं में किसी भी प्रशिक्ष छात्र को प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत रूप से दुर्घटन व किसी भी प्रकार की चौट आने पर वे क्रीआरडीओ द्वारा प्रतिपूर्ति /मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

The DRDO will also not be liable for compensation in case of personal injury caused by accident arising and in the course of students' attachment to DRDO Labs/Establishments.

- प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधान इस योजना में लागू नहीं होंगे।
- नाह प्राप्त को उनके प्रत्यपत्र की संविक्षा के उपचात ही दिया जायेगा। प्रदिश्च को राजपत्रित आधेकारों द्वारा जारी प्रदेश प्रमाण आधार कार्ड, अपने आवास का पता और दो पासपोर्ट आकार के कोरोमाल (सर्केद बेकमाउड के साथ) प्रस्तुत करने हों! ही बांयोडाटा, कॉलेज रेकमेंडेशन एवं लेंब द्वारा भेजे गये ट्रेनिंग पत्र (प्रत्येक की 03 प्रतियो) प्रस्तुत करे। हिसोर्टिंग स्थान



(Defence Research and Development Organisation)

MR. KRISHNA SAXENA Roll No : 17407 | CSE (AIML)